फर्द अहकाम

सरजू देवी बनाम राजस्थान सरकार

...लय

...या 28/22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/5/22	अधिवक्ता सुनील उप्पल ने प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 का पेश किया गया। रिपोर्ट दफ्तर से चुकी है। दर्ज रजि० हो। अप्रार्थी को तलबी जारी होकर पत्रावली बाद तलबी हेतु दिनांक 18/5/22 को पेश हो। SSE	
18/5/22	...साइ ... आर्फीसर दौर/अवका... है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19/5/22 को पेश हो।	
19/5/22	व. प्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी की तामील हो चुकी है। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रकरण सनद [illegible] का है जिससे प्रार्थी की खातेदारी ही अहस्त... हो चुकी [illegible] पत्रावली [illegible] प्रार्थीया का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का प्रा. पत्र बाबत पत्थरगढ़ी का [illegible] स्वीकार [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] फैसला [illegible] हो तथा [illegible] SSE	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:14:54 IST
Reason: SelfAttested

अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी।

SSE
उपखण्ड अधिकारी
... जयपुर

ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

[illegible]. 28/2022

उनवान

1. श्रीमती सरजू देवी उर्फ सूजी देवी पत्नी शंकर लाल, जाति माली निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा (बांसा), तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक—19.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम सामोद, पटवार हल्का सामोद, भू.अ.नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता सं. 36 मे वर्णित खसरा नं. 1678/2 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, कुल कितां 1 का कुल रकबा 0.1200 हैक्टेयर स्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थीया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है।

उक्त वर्णित भूमि की एवं प्रार्थीया की ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर स्थित अन्य खसरा नं. 1679/2, 2452/2451 की प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी के समक्ष दिनांक 12.01.2021 व दिनांक 21.10.2021 को आवेदन क्रमांक/एल.आर./2021/164, सीमाज्ञान आदेश क्रमांक/भू.अ./2020/4029, क्रमांक/भू.अ./2020/4027 की पालना में सीमाज्ञान दिनांक 05.02.2021 को करवाया गया जो वर्तमान में प्रभावी है।

प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 मे वर्णित प्रार्थीया की भूमि के पश्चिमी दिशा के पडौसी काश्तकार द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के मद सं. 1 मे वर्णित भूमि के पश्चिमी दिशा के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग मे अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर व्यवधान उत्पन्न करता रहता हैं जिस कारण प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी श्रीमान् तहसीलदार महोदय चौमू के समक्ष नियमानुसार आवेदन कर दिनांक 05.02.2021 को प्रार्थना पत्र के मद सं. 2 मे वर्णितानुसार सीमाज्ञान पश्चिमी दिशा के सींवजोड पडौसी काश्तकार व अन्य पडौसी काश्तकारो की मौजूदगी मे करवाया गया जिस पर अप्रार्थी द्वारा दिनांक 5.2.2021 को सीमाज्ञान की रिपोर्ट तैयार की गई जिसके संदर्भ मे आज दिवस तक भी पडौसी काश्तकारो द्वारा कोई आपत्ति व उज्र नही किया गया है।

कानूनन न्यायहित में प्रार्थीया के स्वामित्व की भूमि [illegible] प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में किया गया है जिस पर कि [illegible] पश्चिमी दिशा की पत्थरगढी, अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में [illegible]नुसार विधि अनुसार तैयार की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 05.02.2021 के अनुसार [illegible] पुलिस इमदाद करवाने की विधिक अधिकारी है जिस हेतु अप्रार्थी को आदेशित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:14:54 IST
Reason: SelfAttested

यदि प्रार्थीया के स्वामित्व की भूमि की पश्चिमी दिशा की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार नहीं करवायी गई तो प्रार्थीया शांतिपूर्वक अपने स्वामित्व की भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पायेगी जिससे प्रार्थीया के विधिक अधिकारो का हनन होगा तथा प्रार्थीया को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला जयपुर

अतः प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि र्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमि खसरा नं. 1678/2 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1200 हैक्टेयर वाके ग्राम सामोद, पटवार हल्का सामोद, भू.अ.नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर स्थित प्रार्थीया की भूमि की पश्चिमी दिशा बाबत अप्रार्थी द्वारा विधि अनुसार की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 05.02.2021 के अनुसार पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद के आदेश पारित किये जाने की कृपा करें ।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी की तामील हो चुकि है। अधिवक्ता प्रार्थीया की सीधी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया आवेदित आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 05.02.2021 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीया का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 05.02.2021 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **19.05.2021** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सीमा खेतान
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमू जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:14:54 IST
Reason: SelfAttested